138/2016-17

अंचल अधिकारी ....मंझगांव.... का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या– ~~138~~ 2016-17

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–ख्या0म0नि0–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा– ....रोआम.... थाना– ....346.... खाता संख्या– ....41.... प्लॉट संख्या– 10/6 ....रकबा– ....2.50.... एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या–..................के पृष्ठ संख्या– ....79/2.... पर जमाबंदी रैयत ....ओरेस्ट हिम्.... के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसको बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 20/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

मं0

E:\Sec 5 New Awaidh Jamabandi.docx

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– ओल्डी Armd/o रसूल्ल Mm Gश्री - रहीम

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :–

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
रखेमा	346	41	10/6	2.00 ए०

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या.......... पृष्ठ सं०– 29/2 पर कायम है –

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 1283

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :–

6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :–

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती – 177/02-83

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	4765478	5/12/11	2002 से 2012

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	आवेदन उपस्थापित किया गया। प्रतिवादी - पक्ष अनुपस्थित। अतः पुनः द्वितीय नोटिस निर्गत करें। आगामी तिथि — को रखें। [illegible]	

आदेश की क्र०सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
03/11/2025	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "मौजा–रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैर० खास खाता सं०–41, प्लौट सं०– 10/6 कुल रकबा 2.00 ए० पर ओसी मियां, जुलेखा बीबी, मोस्ताक अंसारी पिता स्व० रसुल मियां के द्वारा जोत–कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा० सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती वाद सं० 172/02–03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा–रहेया थाना नं०–345 के अंतर्गत उक्त खाता सं०–41, प्लौट सं०– 10/6 रकबा– 2.00 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत ओसी मियां जुलेखा बीबी मोस्ताक मियां पिता स्व० रसूल मियां के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा रहेया के मांग पंजी II के पेज सं० 79/1 पर दर्ज होकर वर्ष 2011–12 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।" अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई......समाप्त......की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। ह० 03/11/2025 अंचल अधिकारी, मनातू। ह० 03/11/2025 अंचल अधिकारी, मनातू।	

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या 138/2016(अन्तर्गत धारा 4(h),BLR Act,1950)

नोटिस

बनाम औलवी मियां S/o रसूल मियां
ग्राम - रहेया

एतद् नोटिस द्वारा आपाको सूचित किया जाता है कि मैजा रहेया, थाना नं0 346 खाता नं0 41 खेसरा नं0 15/6 रकबा 2.10 से संबंधित आपके नाम से हो0 नं0........ पंजी भाग के पृष्ठ ....पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध मे दिनांक .... को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न मे उक्त रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमीदारी रसीदो, फार्म सरकार मे जमीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं ट साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तूत करे ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही क तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुचते हुए दर्ज जमाबंदी के मे युक्ति युक्त निर्नय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

मुहर

स्थान :

24/10/24
अंचल अधिकारी
मनातू
अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

सेवा में,
अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय:- अवैध / संदेहास्पद जमाबंदी केस नं० 138/ 2016-17 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा रहेता में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया कि गैर खाता सं० 41 प्लॉट सं० 10/6 रकबा 2.00 ए० पर औसी मियाँ, जुलेखा बीबी, मोस्ताक अंसारी पिता स्व० रसूल मियाँ के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जाँच के दौरान बन्दोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी मेदिनीनगर के बन्दोबस्ती केस सं० 172/2002-03 के अन्तर्गत दिनांक 11-7-03 को मौजा रहेता थाना नं० 345 के अन्तर्गत उक्त खाता सं० 41 प्लॉट सं० 10/6 रकबा 2.00 ए० की बन्दोबस्ती उक्त रैयत- औसी मियाँ, जुलेखा बीबी मोस्ताक मियाँ पिता स्व० रसूल मियाँ के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा रहेता के मांग पंजी II के पेज नं० 79/1 पर दर्ज होकर वर्ष 2011-12 तक रसीद निर्गत हो रहा है इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद / अवैध प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद / अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

अंचल अमीन मनातू (signature) 13/11/2018

R.I + C.I

विश्वासभाजन
धीरेन्द्र दीक्षित,
रा० क० नि०
हल्का - II

राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

Home Official Login

पंजी II विवरण Go Back

विवरण

भाग वर्तमान	:	1	पृष्ठ संख्या	:	79
जिला का नाम	:	पलामू	अनुमंडल नाम	:	सदर मेदनीनगर
अंचल का नाम	:	मनातु	हलका का नाम	:	हल्का-3
मौजा का नाम	:	रहेया	होल्डिंग संख्या	:	00
थाना नाम	:	मनातु	थाना नंबर	:	0345
तौजी संख्या	:	0	इस्टेट का नाम	:	झारखण्ड
खाता का प्रकार	:	गैरमजरूवा आम			

रैयत का नाम :

क्रम सं.	रैयत का नाम			जाति	निवासी
1 .	ओसी मियां वो जुलेखा बीबी वो मुस्ताक अंसारी	---- -	रसूल मियां	सेख	-

प्लोट का विवरण

खाता नंवर	प्लोट संख्या	रकवा
41	10/6	2 एकड़ 0 डिसमील 0 हेक्टर
	कुल परिमान	2 एकड़ 0 डिसमील 0 हेक्टर

लगान का विवरण

लगान	रोड सेस	शिक्षा सेस	स्वास्थ्य सेस	कृषि सेस	कुल
16.00	4.00	8.00	8.00	3.20	39.20

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, [illegible] जिला – पलामू

गैर मजरुआ आम / मालिक भूमि की बन्दोबस्ती कृषि / आवास के लिये

बन्दोबस्ती केश संख्या- [illegible] परवाना संख्या- 11

बन्दोबस्तधारी का नाम [illegible] पिता का नाम [illegible]

ग्राम [illegible] थाना [illegible] जिला पलामू

बन्दोबस्ती की गयी भूमि का विवरण

ग्राम	खाता न0	खेसरा न0	रकबा	चौहद्दी	लगान
[illegible] 345	41	[illegible]	[illegible]	उ0 [illegible] द0 [illegible] पू0 [illegible] प0 [illegible]	[illegible] प्रतिवर्ष अलावे सेस वगैरह

बन्दोबस्ती की शर्तें

उपरोक्त जमीन निम्नांकित शर्त के साथ बन्दोबस्त की जाती है।

1. बन्दोबस्तधारी बन्दोबस्ती की लगान भूमि का दखल कब्जा नापी कराकर अंचल अधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।
2. बन्दोबस्तधारी लगान एवं सेस वगैरह नियमित रूप से प्रतिवर्ष अदा करेंगे / लगान बन्दोबस्ती के वर्ष से देय होगा।
3. बन्दोबस्त की गई जमीन विरासत के याग होगी किन्तु किसी भी प्रकार से इसका हस्तानान्तरण वैध नहीं होगा। बन्दोबस्त भूमि की सांस्थिक वित्त अनुसूचित बैंक के पास केवल बन्धक रखा जा सकता है।

परवाना तैयार करने वाले का हस्ताक्षर | अंचल अधिकारी | अनुमंडल पदाधिकारी

11.7.03

[illegible] - [illegible] - [illegible]

[illegible] - 070 - 3[illegible]

[illegible]

जिला — पलामू

16 इंच = 1 मील

N

S

[illegible]

Sch. XIV-F.No. 180V

जिला का नाम पलामू

अनुमण्डल का नाम मेदिनीनगर

अंचल का नाम [illegible]

नाम सर्कल। नाम मौजा मय [illegible]/245

थाना वो थाना नम्बर [illegible]

V रसीद मालगुजारी

फरद मालकी/फरद रैयती

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी

वो सकुनत नम्बर। JB/41 4965475

1-11- [illegible]

खाता संख्या	खसरा संख्या
41	196 [illegible] 2.10 [illegible]

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील [illegible] लगान भावली
[illegible]	[illegible] 5/0 [illegible]	[illegible]

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबद	सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा	बकाया: 3रा वर्ष	बकाया: 2रा वर्ष	बकाया: 1ला वर्ष	हाल 2011-12
माल गुजारी (नकदी)	16.00				128.0	16.0
माल गुजारी (भावली)	4.00				32.0	4.0
सेस	8.00				64.0	8.0
*सूद	8.00				64.0	8.0
मुतफरकात	4.00				32.0	4.0
मीजान	40.00				320.0	40.0

[illegible]

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबद	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा	बकाया: 3रा वर्ष	बकाया: 2रा वर्ष	बकाया: 1ला वर्ष	2011-12 मोतालबा हाल	फाजिल
माल गुजारी (नकदी)				128.00	16.00	[illegible]
माल गुजारी (भावली)				32.00	4.00	
सेस				64.00	8.00	
*सूद				64.00	8.00	360.0
मुतफरकात				32.00	4.00	
मीजान अदायकारी				320.00	40.00	

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) तीन सौ साठ रुपये मात्र

(2) नाम देहिन्दा - [illegible]

(3) कुल बकाया-

[signature] 5/12/11

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

NCCF-2007

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2025.11.07 12:19:23 +05:30
Location: 10.91.44.140